उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-10/2017/515/94-स्टा०नि०-2-2017-700(314)/17

लखनऊ: दिनांक: 27 जुलाई, 2017

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या-2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से राज्य की उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति, 2014 के प्रस्तर-4.3 तथा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति, 2016 के प्रस्तर-3.3.1.2 मे नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा उल्लिखित रूप में उपबंधित प्रयोजन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा दर्शित लिखतो के संबंध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में अनुसूची के स्तम्भ-3 में दर्शित सीमा तक छूट प्रदान करते है:-

अनुसूची

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति, 2014 तथा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति, 2016	प्रयोजन व अन्य विवरण	छूट की सीमा	दस्तावेज की प्रकृति तथा अनुसूची-1ख की अनुच्छेद संख्या
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति, 2014 का प्रस्तर–4.3	इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना हेतु भूमि के क्रय/पट्टा	100%	अनुच्छेद-23(क) के अधीन हस्तांतरण तथा अनुच्छेद-35 के अधीन पट्टा
उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति, 2016 का प्रस्तर-3.3.1.2	सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोजन/सूचना प्रौद्योगिकी के अधीन सेवाओं के लिए भूमि/कार्यालय स्थल/भवनों का क्रय/पट्टा	100%	अनुच्छेद-23(क) के अधीन हस्तांतरण तथा अनुच्छेद-35 के अधीन पट्टा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-10/2017/515/94-स्टा०नि०-2-2017-700(03)/17, दिनांक 27 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 27-07-2017 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की सौ प्रतियाँ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(लालू),
संयुक्त सचिव।

संख्या-10/2017/515/94-स्टा०नि०-2-2017-700(03)/17, दिनांक 27 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र०, शासन।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर।
6. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
7. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
8. प्रबंध निदेशक, यू०पी० डेस्को लखनऊ।
9. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
10. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।
11. सहायक महानिरीक्षक निबंधन, प्रथम/द्वितीय, जनपद गौतमबुद्धनगर।
12. आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
13. विधायी अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
14. भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लालू),
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलैक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in में सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Stamp Evam Registration Anubhag-2
The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 10/2017/515/94/-S.R.-2-2017-700(314)/17, Dated, 27 July, 2017 for general information.

Notification

Order

No.10/2017/515/94/-S.R.-2-2017-700 (314)/17

Lucknow, Dated, 27 July, 2017

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty to the extent shown in column-3 of the Schedule below, chargeable in respect of the instruments as shown in column-4 of the said Schedule for the purpose provided in paragraph 4.3 of Uttar Pradesh electronics manufacturing policy-2014 and paragraph 3.3.1.2 of Uttar Pradesh Information Technology and Start-up policy-2016 of the State as mentioned in column-2 of the said schedule.

Schedule

Uttar Pradesh electronics manufacturing policy-2014 and Uttar Pradesh Information Technology and Start-up policy-2016	**object and other details**	**Limit of remission**	**Nature of document and Article number of Schedule-1-B**
column no. 4.3 of Uttar Pradesh electronics manufacturing policy-2014	Purchase/lease of land for the establishment of electronic manufacturing clusters.	100%	Conveyance Under Article 23(a) and lease under Article 35.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

column 3.3.1.2 of Uttar Pradesh Information Technology and Start-up policy-2016	Purchase or lease of land/office space /building for the purpose of Information Technology/ services under Information Technology.	100%	Conveyance Under Article 23(a) and lease under Article 35.

2. The remission under this notification shall be under the terms and procedures mentioned in G.O. No. 141/77-6-13-15(M)/05, dated 04-06-2013, G.O. No. 770/77-6-15-5(M)/13T.C. dated 09-06-2015, G.O. No. 510/77-06-16-5(M)/13T.C. (mega) dated 12-05-2016 and G.O. No. 854/77-06-16-5(M)/13T.C. (mega) dated 30-06-2016 of Audyogic Vikas Anubhag-6 as annexed herewith.

3. This remission shall be available till 31 march, 2020 in case of units of Information Technology/units rendering services under Information Technology and till 31 march, 2019 in case of establishment of electronics manufacturing clusters, from the date of this notification.

4. This notification regarding units of Information Technology/units rendering services under Information Technology and establishment of electronics manufacturing clusters, supersedes the notification no. K.N.-7-79/XI-2012-312(98)-2012 dated 05 December, 2012 of Uttar Pradesh Shasan.

By order

Himanshu Kumar,
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 141 /77-ग-13-1(98)/2

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2-आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उ0प्र0।
3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 04 जून, 2013

विषय- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-7-79-11-2012-312(98)/2012 दिनांक 05.12.2012 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति- 2004 के अन्तर्गत कर एवं निबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या-क0नि0-5-305-11-2005-500 (136)-2003 दिनांक 19.01.2005 के तहत ई औद्योगिक इकाइयों को स्टैम्प शुल्क से छूट दिये जाने की प्रक्रिया औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश संख्या-1547, दिनांक 21.08.2009 द्वारा निर्धारित की गयी थी।

2- वर्तमान में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 निर्गत की गई है जिसमें स्टैम्प शुल्क में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या-79/11-2012-312(98)/2012, दिनांक 05.12.2012 निर्गत की गयी है।

3- कर एवं निबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-7-79-11-2012-312(98)/2012 दिनांक 05.12.2012 के प्रस्तर-2 में यह उल्लिखित है कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत छूट तभी अनुमन्य होगी जबकि सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्ट्रेट या महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, लेखे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन के लिए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि अन्तरण, उक्त नीति के अधीन किया जा रहा है।

4- उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कर एवं निबन्धन विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.12.2012 में वर्णित किसी प्रयोजन हेतु यदि इकाई भूमि क्रय करती है अथवा पट्टे पर प्राप्त करती है तो विक्रय/पट्टा विलेख के निबन्धन पर लागू स्टैम्प शुल्क से छूट हेतु निम्न दो विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुन सकती है:-

(i)- अनुमन्य प्रयोजन हेतु इकाई विक्रय/पट्टा विलेख पर नियमानुसार देय स्टैम्प शुल्क का भुगतान करके विलेख का निबंधन करा सकती है। यदि विलेख के निबंधन की तिथि से निर्धारित अवधि में औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो अथवा अन्य अनुमन्य प्रयोजन की दशा में इकाई द्वारा प्रयोजन की पूर्ति कर ली गयी हो तो भुगतान किये गये स्टैम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) हेतु सम्बंधित जनपद के महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को आवेदन देगी। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र प्रयोजन की पूर्ति का भौतिक सत्यापन कर अपनी आख्या सहित वांछित धनराशि हेतु मांग पत्र निदेशक उद्योग को प्रेषित करेंगे। निदेशक उद्योग समेकित मांग औद्योगिक विकास विभाग को प्रेषित करेंगे। औद्योगिक विकास विभाग बजट के माध्यम से वांछित धनराशि निदेशक उद्योग को आवंटित करेंगे। निदेशक उद्योग द्वारा वांछित धनराशि प्राप्त होने पर सम्बन्धित इकाईयों द्वारा भुगतान की गई स्टैम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि का भुगतान सीधे इकाई के द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जायगा।

(ii)-इकाई विक्रय/पट्टा विलेख पर कर एवं निबंधन विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 05.12.2012 के अन्तर्गत स्टैम्प शुल्क से छूट प्राप्त करते हुए विलेख का निबंधन करा सकती है। इस हेतु स्टैम्प शुल्क से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

(क) अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अन्तर्गत देय छूट विषयक अधिसूचना दिनांक-05.12.2012 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं हेतु यदि इकाई द्वारा केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था से भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेंट क्रय/लीज पर प्राप्त किया जाना है तो सम्बन्धित केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था प्रमाणीकरण संस्था होगी।

(ख) अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अन्तर्गत देय छूट विषयक अधिसूचना दिनांक-05.12.2012 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं हेतु यदि इकाई द्वारा भूमि निजी स्रोत से प्राप्त की जा रही है तो उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० प्रमाणीकरण संस्था होगी।

(ग) छूट प्राप्त करने हेतु इकाई द्वारा प्रस्ताव प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित प्रमाणीकरण संस्था को प्रस्तुत किया जाएगा। इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भूमि की आवश्यकता व परियोजना की प्रकृति के अनुसार मानक का परीक्षण करते हुए प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक "क") पर प्रमाण पत्र सम्बंधित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र को प्रेषित किया जायेगा।

(घ) इकाई द्वारा प्रमाणीकरण संस्था के साथ एक अनुबन्ध (संलग्नक- "ख") किया जायेगा जिसमें निर्धारित शर्तों का उल्लेख एवं निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने अथवा

अवस्थापना सुविधा से सम्बन्धित इकाईयों की दशा में वर्णित प्रयोजन की पूर्ति करने का अध्यास्त होगा और उसमें विलम्ब की स्थिति में स्टैम्प ड्यूटी में देय छूट के समतुल्य धनराशि की देय गारण्टी को निबन्धन विभाग द्वारा भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने की बाध्यता का उल्लेख होगा।

(च) इकाई विक्रय/पट्टा विलेख, प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र तथा अनुलग्नक एवं के साथ महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 के पक्ष में निर्धारित अवधि के लिये स्टैम्प शुल्क से छूट के समतुल्य धनराशि की irrevocable बैंक गारंटी भी महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को उपलब्ध करायेगा। तत्पश्चात् महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र विलेख पर साक्षी के रूप में इस तथ्य की पुष्टि के प्रयोजन के लिए हस्ताक्षर करेंगे कि अन्तरण उक्त नीति के अधीन निष्पादित किया जा रहा है तथा विलेख व बैंक गारंटी 7 दिन के अन्दर सम्बन्धित उप निबन्धक, निबंधन को विक्रय/पट्टा विलेख के निबंधन हेतु भेज देंगे।

(छ) औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने अथवा अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित इकाईयों की दशा में प्रयोजन की पूर्ति होने पर इकाई द्वारा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से महानिरीक्षक निबन्धन को बैंक गारण्टी वापस करने हेतु आवेदन पत्र दिया जायेगा। महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रयोजन की पूर्ति अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने का भौतिक सत्यापन करते हुए आवेदन प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इकाई का आवेदन पत्र एक प्रमाण पत्र (संलग्नक- "ग") के साथ महानिरीक्षक निबन्धन को प्रेषित किया जाएगा। महानिरीक्षक निबंधन द्वारा आवेदन पत्र तथा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र के प्रमाण पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर बैंक गारण्टी वापस करने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

(ज) निबंधन के पश्चात महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र निर्धारित अवधि में इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने अथवा अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित इकाईयों की दशा में निर्धारित अवधि में प्रयोजन की पूर्ति न होने की स्थिति में 30 दिन के अन्दर इसकी सूचना महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 को उपलब्ध करायेंगे तथा महानिरीक्षक निबन्धन बैंक गारंटी को भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करायेंगे ताकि छूट का दुरूपयोग न हो।

4- निर्धारित अवधि तथा भूमि के अधिकतम अनुमन्य क्षेत्रफल के मापदण्ड निर्धारित करने सम्बन्धी शासनादेश अलग से निर्गत किया जा रहा है।

5- एतद विषयक औद्योगिक विकास विभाग के पूर्ववर्ती शासनादेश संख्या 1547, दिनांक 21.08.2009 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजोक / तिन)
मुख्य सचिव

संलग्नक: यथोक्तानुसार।

संख्या व दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. प्रबंध निदेशक, यू.पी.एस.आई.डी.सी, कानपुर।
4. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।
5. औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा के समस्त अधिकारी।
6. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
7. समस्त महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा/ग्रेटर नोयडा/गीडा/बीडा/सीडा/लीडा।
9. औद्योगिक विकास विभाग के शाखा के समस्त अनुभाग।
10. कर एवं निबन्धन अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन को उनके द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या क0नि0-7-79-11-2012 (98)/2012 दिनांक 05.12.2012 के क्रम में प्रेषित।
11. महानिरीक्षक, निबन्धन उ0प्र0।
12. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(कौशल राज शर्मा)
विशेष सचिव

अनुलग्नक-1

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत इकाई द्वारा वैट/कर मुक्ति हेतु दिए गए आवेदन-पत्र पर प्रमाणीकरण संबंधी प्रमाण पत्र

1- इकाई का नाम .....

2- इकाई का पता .....

.....

.....

3- इकाई का स्वरूप (प्रोप्राइटरशिप/पार्टनरशिप/कोऑपरेटिव/लिमिटेड कम्पनी/ को आपरेटिव सोसायटी/ स्वायत्त निकाय/राजकीय विभाग) .....

4- पैन नम्बर .....

5- इकाई के स्वामी/प्रबंधक/साझेदारों/निदेशकों के नाम पता एवं सम्पर्क विवरण (निदेशक के प्रमाण सहित)

नाम

पता

दूरभाष संख्या

फैक्स संख्या

मोबाईल संख्या

ई-मेल

वेबसाइट

6- उद्यम पंजीकरण का विवरण संख्या

दिनांक

(साक्ष्य के रूप में पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करें)

7- प्रस्तावित उत्पादन एवं क्षमता

8- भूमि, शेड अथवा औद्योगिक निर्माण क्षेत्र/एरिया पर प्राप्त करने का प्रयोजन

9- औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की प्रस्तावित तिथि अथवा अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित इकाईयों की दशा में प्रचालन की पूर्ति होने की प्रस्तावित तिथि

10- केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार / स्वायत्तशासी निगम, परिषद, अभिकरण, संस्था के नाम वाली से भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेंट क्षेत्र/एरिया का प्राप्त किया गया है

11- वित्तीय संस्था का नाम जहाँ से ऋण प्राप्त किया गया है/किया जा रहा है।

12- वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि व दिनांक

(साक्ष्य के रूप में वित्तीय संस्था द्वारा जारी स्वीकृत ऋण पत्र एवं अनुबंध पत्र की प्रति संलग्न करें

13- स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने वाली धनराशि

14- यदि इकाई द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य/जिला स्रोत से भी भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेंट क्षेत्र/एरिया पर प्राप्त किया गया है तो उसका सम्पूर्ण विवरण
(साक्ष्य के रूप में सम्बन्धित प्राप्त एवं अनुबंध पत्र की प्रति संलग्न करें)

15- स्थान शुल्क से छूट प्राप्त उपक्रम हेतु भूमि, शेड तथा औद्योगिक टेनमेंट का विवरण

क्र.सं.	भूमि, शेड तथा औद्योगिक टेनमेंट का विवरण (स्थानवार)	क्षेत्रफल (वर्ग मी. एवं एकड़ में)	भूमि, शेड तथा औद्योगिक टेनमेंट का कुल मूल्य
1			
2			
3			
	कुल योग		

प्रमाणित किया जाता है कि इकाई द्वारा दिये गये समस्त अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों का उल्लेख करते हुये विक्रय/पट्टा विलेख के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने अथवा अवस्थापना सुविधा में सम्बन्धित इकाईयों की दशा में वांछित प्रयोजन की पूर्ति करने का आश्वासन दिया गया है और उसमें विलम्ब की स्थिति में स्टैम्प ड्यूटी से देय छूट के समतुल्य धनराशि की देय तारीख को नियन्त्रण विभाग द्वारा भुनाकर धनराशि को नियन्त्रण विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने की बाध्यता का भी उल्लेख किया गया है।

इकाई के सन्दर्भ में दी गयी सूचना अनुबन्ध व उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार है तथा समस्त अंकित विवरण सत्य है जिसके आधार पर स्टैम्प ड्यूटी में देय छूट रु0 ..... की छूट दिये जाने की अनुशंसा की जा रही है

अधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक :

स्थान :

DRAFT AGREEMENT

(On Non Judicial Stamp Paper of Rs.100/-)

This agreement made on this _____ day of _____ in the year _____ at _____ between M/s _____ a firm/a company/a society incorporated and registered under the Company Act 1956 (1 of 1956)/Society Registration Act 1860/Indian Partnership Act-1860 and having its registered office at _____ (hereinafter called "the Allottee" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof include its successors and assigns) through Shri _____ Owner/Director, authorized by the Board of Director of the company/society vide Resolution passed in this behalf on _____ of the One Part;

And the _____ a statutory body established under the _____ Act and having its head office at _____ (hereinafter called "the Certifying Agency" which expression shall include the Chairman/Managing Director or any authorised by the Board of Director) of the Other Part;

WHEREAS :

1. The Government of Uttar Pradesh (hereinafter called "the state government") has framed a scheme to remit stamp duty to the extent shown in column 3 of the schedule specified in the notification no. I(N.)-79/II-2012-112(98)/2012, dated December 05, 2012 for purpose specified in column 2 , chargeable in respect of the instruments as shown in column 4 of the said schedule for the purpose provided in paragraph 5.1.1 and 5.1.2 of the Infrastructure and Industrial Investment Policy 2012, of the State as mentioned in column 2 of the said schedule to setup a new industrial unit or an unit making expansion or diversification thereof.
2. The certifying agency has been appointed by the State Government for operating this scheme.
3. The Allottee has applied for purchase or lease of land, shed or industrial tenement for the purpose specified as _____ _____ (to established a new industrial unit or making expansion or diversification of an unit or for the development of infrastructure facilities in the state) as specified in their project report.
4. The total requirement of land, shed or industrial tenement for the purpose specified a _____ is _____ _____ and has been allotted _____ acres

of land for which exemption of stamp duty of Rs. _____ required applied for

5. That the Allottee has applied for the stamp duty exemption of Rs._____ , under the scheme vide his application dated ____ _____ enclosing project report.
6. That the certifying agency, after considering the application and records provided by the Allottee and examining the requirement of land, shed or industrial tenement for the purpose specified, is ready to certify and execute the agreement.

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH :

1- In pursuance of the said Agreement, Certifying Agency, the Allottee, hereby covenants :-

A. That the Allottee, in case of an industrial unit, will start commercial production, and in case unit is established for any other specified purpose mentioned in the industrial policy, fulfils the said purpose within 5 years from the date of execution of the instruments of sale/lease-deed by the sub-registrar of registration department.
B. That the Allottee will provide an irrevocable Bank Guarantee in favour of Inspector General, Stamp & Registration, U.P. for an amount, equal to the amount of exemption from Stamp Duty.
C. That the Allottee will comply with, and faithfully observed all the rules & regulations, relating to the abovesaid scheme, and also all subsequent amendments & additions, as may be inserted by the Order of the State Government.
D. That the Allottee will allow the Officers of the Certifying Agency or concerned General Manager of District Industries Centre or by the State Government to inspect the progress of the unit.

2- It is further hereby agreed & declared by, and between the parties hereto that in any of following cases namely:

a. Where the Allottee fails to furnish the prescribed statement and/or information which is called upon to furnish, or
b. Where the Allottee has obtained the stamp duty exemption by misrepresentation or by furnishing of fake information, or
c. Where the industrial units does not commence commercial or fulfills the purpose for which exemption from stamp duty was granted, within 5 years from the date of Registration of instrument.
d. If the Allottee misutilized the exemption from stamp duty, by violating purpose specified in the project-report.

The Inspector General, Stamp & Registration or State Government shall have the right to encash the bank-guarantee and deposit the amount in the suitable head of the Stamp & Registration department.

3- It is hereby further agreed & declared that the expenses incurred on execution of these presents shall be paid and borne by the Allottee.

4- All the dispute shall be subject to the Jurisdiction of Court's at _____.

5- The Allottee, I ereby further declares, undertake and confirm that the above information is true to best of my knowledge and belief.

In Witness whereof the Allottee, Namely _____ has/have set his/their hand(s) to do this Agreement on the day, month and in the year above mentioned.

Allottee	Certifying Agency
For M/s	For .....
(	(
(	(
Witnes	Common seal of M/s.....
1-	Affixed in my/ our presence
	(
	(
2-	

AFFIXED IN MY/C JR PRESENCE

(Stamp & Signature, with Date of Oath Commr.)

अनुलग्नक-I

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अन्तर्गत इकाई द्वारा स्टैम्प शुल्क से छूट हेतु मांगी गयी छूट की गारण्टी को अवमुक्त करने हेतु पत्र प्रारूप, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जिला स्तरीय समिति को

1- इकाई का नाम .....

2- इकाई का पता .....

.....

3- प्राप्त किये गये भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेंट क्रय/लीज का प्रयोजन

.....

4- औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि अथवा अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित इकाईयों की दशा में प्रयोजन की छूट देने की तिथि .....

5- जमा किये गये बैंक गारण्टी का विवरण तिथि सहित .....

6- स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की गयी धनराशि का विवरण .....

7- स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की गयी भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेंट का विवरण

क्र.सं.	भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेंट का विवरण (खसरा)	क्षेत्रफल एकड़ में	भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेंट का कुल क्षेत्रफल जो निर्दिष्ट उद्देश्य से आच्छादित है।
1			
2			
3			
	कुल योग		

प्रमाणित किया जाता है कि इकाई द्वारा उपरोक्तानुसार औद्योगिक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक.....को प्रारम्भ कर दिया गया है अथवा अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित इकाईयों का गठन के प्रयोजन की पूर्ति होने की प्रस्तावित तिथि को प्रवेशन की पूर्ति दिनांक .....की जा चुकी है। उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की गयी भूमि, शेड अथवा औद्योगिक टेनमेंट का भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त इकाई के द्वारा जमा किये गये बैंक गारण्टी को इकाई को वापस किये जाने की संस्तुति की जाती है।

इकाई के सन्दर्भ में दी गयी सूचना अनुबन्ध व उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार है तथा समस्त अंकित विवरण सत्य हैं जिसके आधार पर स्टेम्प ड्यूटी में देय कुल रु0 ..... की छूट हेतु जमा की गयी बैंक गारण्टी वापस किये जाने की अनुशंसा की जा रही है।

अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक :

महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ...

स्थान :

1. उप निबंधक, निबंधन.....

2. महा निरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

संख्या- 770/77-6-15-5(एम)/13 टी0सी0

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ.प्र.।
आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ.प्र.।
अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 9 जून, 2015

विषयः- उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली मेगा परियोजनाओं को दिये जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के विषय में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत मेगा परियोजना की स्थापना हेतु केस-टू-केस आधार पर दिये जाने वाले प्रोत्साहन विषयक शासनादेश संख्या-402/77- 6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 सपठित शासनादेश संख्या 910/77-6-14-05(एम)/2013 दिनांक 4.7.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-402/77- 6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 के प्राविधानों में निम्नवत संशोधन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है:-

1.1 शासनादेश संख्या 402/77- 6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 में वर्णित प्राविधानों में कतिपय प्राविधान निम्नवत संशोधित किये जाते हैं:-

1.1.1 प्रस्तर 12.1 का संशोधन - "मेगा परियोजना हेतु वांछित सुविधाओं के लिए आवेदन करते समय आवेदक कम्पनी द्वारा भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में आशय-पत्र/इच्छा पत्र की प्रति प्राधिकृत संस्था को प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।"

1.1.2 प्रस्तर 12.6 का संशोधन - "मेगा परियोजना हेतु वांछित सुविधाओं के लिए आवेदन करते समय आवेदक कम्पनी द्वारा किसी शिडयूल्ड वाणिज्यक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) अथवा इन बैंकों के नियन्त्रणाधीन अथवा केन्द्र सरकार के नियन्त्रणाधीन वित्तीय संस्था द्वारा परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अथवा ऑडिट रिपोर्ट की प्रति प्राधिकृत संस्था को प्रदान किया जाना आवश्यक होगा। यदि इकाई द्वारा किसी वित्तीय संस्था अथवा बैंक से ऋण नहीं प्राप्त किया जा रहा हो तो भी इकाई को उक्त वर्णित संस्थाओं में से किसी एक संस्था द्वारा परियोजना का ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। प्राधिकृत संस्था के माध्यम से पात्र इकाई को परियोजनान्तर्गत वित्तीय सुविधायें/वित्तीय उपादान उपलब्ध कराया जाना है अतः प्राधिकृत संस्था द्वारा परियोजना का अप्रेजल नहीं किया जायेगा।"

1.1.3 प्रस्तर 12.7 का संशोधन - "यदि परियोजना चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जाती है एवं तदनुसार चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग समय में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जाता है तो ऐसी दशा में उस अर्ह परियोजना को मेगा परियोजना नीति के अंतर्गत देय विशिष्ट सुविधाएं तभी अनुमन्य कराई जाए, जब परियोजना एक ही स्थान पर स्थापित की जा रही हो एवं परियोजना हेतु तैयार की गई डी.पी.आर. में चरणबद्ध तरीके से परियोजना स्थापित करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो एवं इसी डी.पी.आर. के आधार पर अप्रेजल किया गया हो एवं इकाई द्वारा उत्पादित किए जाने वाला उत्पाद एक ही प्रकृति का हो। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इकाई द्वारा लेटर आफ कम्फर्ट जारी होने के दिनांक से आगामी 5 वर्ष की अवधि के अन्दर अंतिम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया हो एवं कट-ऑफ-डेट के पश्चात, परंतु अंतिम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व, मेगा इकाई की पात्रता हेतु आवश्यक पूंजी निवेश कर लिया गया हो। ऐसी परिस्थितियों में मेगा परियोजना के अंतर्गत अनुमन्य विशिष्ट सुविधाएँ इकाई को पात्रता हेतु आवश्यक पूंजी निवेश पूर्ण किए जाने की तिथि से ही इस शर्त के साथ उपलब्ध कराई जाएगी कि इकाई द्वारा कम से कम किसी एक चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो।"

1.1.4 प्रस्तर 13.5 का संशोधन - "प्राधिकृत संस्था से प्राप्त इकाई के प्रस्ताव को औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मा. मंत्रि-परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। मा. मंत्रि-परिषद द्वारा इकाई की पात्रता को स्वीकृति प्रदान किये जाने की दशा में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मेगा प्रोजेक्ट हेतु मा. मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृत समस्त सुविधाओं/ रियायतों के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित विभागों/ प्राधिकरणों/ निगमों आदि को उनके द्वारा आवश्यक शासनादेश निर्गत किये जाने हेतु अथवा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जायेगा। इसके साथ ही औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्राधिकृत संस्था को लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किए जाने हेतु निर्देशित किया जाएगा जिसमें शासन द्वारा अनुमोदित समस्त सुविधाओं एवं रियायतों का विवरण हो तथा सभी नियम व शर्तों का समावेश हो।"

1.1.5 उक्त शासनादेश दिनांक 03.03.2014 की अन्य व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

1.2 प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 402/77-6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 में वर्णित प्राविधानों के अतिरिक्त निम्न व्यवस्थाओं को भी समाविष्ट किया गया है:-

1.2.1 मेगा परियोजना हेतु वांछित सुविधाओं के लिए आवेदन करते समय आवेदक कम्पनी द्वारा किये गये पूँजी निवेश (प्रार्थना प्रपत्र का प्रारूप 1 एवं 2) को सांविधिक (Statutory) आडिटर अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेंट तथा कम्पनी के अधिकृत निदेशक द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए तथा इसके अतिरिक्त प्रार्थना प्रपत्र के अन्य प्रारूप को कम्पनी के अधिकृत निदेशक एवं सांविधिक (Statutory) आडिटर अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेंट से कराया जाना आवश्यक होगा। जब कि सुविधा का लाभ (आवंटन/आहरण) लेने हेतु शासनादेश संख्या 402/77-6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 के प्रस्तर 12.4 में इंगित शर्त के अनुसार इकाई द्वारा किये गये पूंजी निवेश का सत्यापन सर्टीफायरी आडिटर द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

1.2.2 शासनादेश संख्या-402/77-6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 के प्रस्तर 4 में मेगा परियोजना की परिभाषा में विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली इकाईयों को भी

सम्मिलित किया गया है। अतः अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली इकाईयों को भी विभिन्न विभागों द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेशों में एतद्द्वारा सम्मिलित करते हुए इस सीमा तक संशोधित माना जाये।

1.3 शासनादेश संख्या 910/77-6-14-05(एम)/2013 दिनांक 4.7.2014 के द्वारा एकल खिड़की मेगा परियोजनाओं हेतु प्राधिकृत संस्था एवं इन्वायर्न कमेटी के सचिवालय के रूप में गठित किया गया है। शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था के रूप में प्रदत्त जिम्मेदारी का वहन करने तथा इस कार्य को सम्पादित करने में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मेगा परियोजनाओं द्वारा अनुमन्य सुविधाओं को प्राप्त करते समय प्राधिकृत संस्था-एकल को मात्र 01 प्रतिशत का व्यय प्रदान किया जाएगा। एकल 01 प्रतिशत का यह व्यय इकाईयों को दी जाने वाली सुविधाओं की राशि में से घटाने के पश्चात शेष वितरित करेगा।

1.4 राज्य सरकार द्वारा केस-टू-केस आधार पर 9 मेगा परियोजनाओं को विशेष सुविधायें एवं रियायतें प्रदान करने पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है जिसका विवरण अनुलग्नक-1 पर है तथा इन परियोजनाओं की सूची अनुलग्नक-2 पर है।

1.5 जिन 9 इकाईयों को एतद्द्वारा रियायतें/सुविधायें प्रदत्त किये जाने का निर्णय लिया गया है उनको प्रकरणगत सभी प्रकार की सुविधायें प्राधिकृत संस्था द्वारा शासनादेश सं-402/77-6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 के प्रस्तर 14.1 के प्राविधानों के अनुपालन करते हुए वितरित की जायेंगी।

1.6 सम्बन्धित विभागों द्वारा सन्दर्भित 9 इकाईयों हेतु अनुमोदित सुविधाओं को निर्णीत सीमा तक उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश जारी किये जायेंगे।

1.7 किसी भी प्रकार की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु प्राधिकृत संस्था द्वारा इन्वायर्न कमेटी से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।

भवदीय,

(देवाशीष सेन)
मुख्य सचिव।

संख्या:770(1)/77-6-15-05(एम)/2013 टी0एस0, तदिनांक

उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ.प्र., इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव तथा अवस्थापना एवं वित्तीय विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
4. औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमों के प्रबन्ध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

5. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. अध्यक्ष, उ.प्र. राजस्व परिषद, लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
8. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ.प्र. शासन।
9. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, विकास, विकास भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
10. संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी गोल एरोन्यू, लखनऊ।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासनादेश की 1000 प्रतियां मुद्रित कराकर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश की मुद्रित प्रतियां प्रेषित करने का कष्ट करें।
12. नियोजन अनुभाग-1, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 ।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पवन वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या:770(2)/77-6-15-05(एम)/2013 दी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त समाचार पत्रों में व अन्य प्रचार-माध्यमों से करवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पवन वर्मा)
विशेष सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या- 770/77-6-15-5(एम)/13 टी0सी0 दि0 अनुलग्नक-1

राज्य सरकार द्वारा जेड-ई-जेड के आधार पर 9 मेगा परियोजनाओं को अनुमोदित वित्तीय सुविधायें एवं रियायतें

क्र.सं.	प्रदान की जाने वाली सुविधा का विवरण	पात्रता	सुविधा की सीमा	
			श्रेणी-1 रु0 200 करोड़ अथवा अधिक किन्तु रु0 500 करोड़ से कम पूंजी निवेश वाली मेगा इकाई	श्रेणी-2 रु0 500 करोड़ अथवा उससे अधिक पूंजी निवेश वाली मेगा इकाई
अ-	अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0 1416/77-6-12-08(एम)/12टी.सी.IV दि0 30.11.2012 के स्थान पर सभी नई मेगा औद्योगिक इकाईयां जिनमें विस्तारीकरण/विविधीकरण वाली इकाईयां भी सम्मिलित है, को वैट/सी0एस0टी अथवा भविष्य में लागू किये जाने वाले जी0एस0टी0 इत्यादि (टैक्स, जो किसी भी नाम से हो) में निहित प्रदेश सरकार के अंश की प्रतिपूर्ति	पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड मण्डल को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी मण्डलों में स्थापित पात्र इकाईयां	इकाई द्वारा वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति 10 वर्षों के लिए एवं स्थाई पूंजी निवेश की 100 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक	इकाई द्वारा वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति 10 वर्षों के लिए एवं स्थाई पूंजी निवेश की 100 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक
		शासनादेश संख्या-1416/77-6-12-08(एम)/12टी.सी.IV दि0 30.11.2012 में इंगित पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड मण्डल के सभी जिले।	इकाई द्वारा वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति 15 वर्षों के लिए एवं स्थाई पूंजी निवेश की 300 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक	इकाई द्वारा वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति 15 वर्षों के लिए एवं स्थाई पूंजी निवेश की 300 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक
ब-	अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-1415/77-6-12-08	प्रदेश में स्थापित सभी पात्र मेगा इकाईयां	औद्योगिक इकाईयों को सिंडीकेट बैंकों/ केन्द्र व राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वित्तीय संस्थाओं से नई इकाई	औद्योगिक इकाईयों को सिंडीकेट बैंकों/ केन्द्र व राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वित्तीय संस्थाओं से नई इकाई

	(एम)/12डी.सी. दिनांक 30.11.2012 के स्थान पर सभी नई मेगा औद्योगिक इकाईयां जिनमें विस्तारीकरण/विविधीकरण वाली इकाईयां भी सम्मिलित हैं को पूंजीगत ब्याज उपादान		की स्थापना/ विस्तारीकरण/ विविधीकरण वाली समस्त पात्र इकाईयों हेतु प्लांट एवं मशीनरी के लिए वितरित सावधि ऋण पर भुगतान की गयी ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से उस वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गये ब्याज की धनराशि की प्रतिपूर्ति अधिकतम रू0 2 करोड़ जो भी कम हो प्रतिवर्ष प्रति इकाई अधिकतम 5 वर्ष तक अथवा अधिकतम रू0 10 करोड़ प्रति यूनिट देय होगी। 5 वर्ष की गणना, सावधिक ऋण के अन्तिम वितरण की तिथि से की जायेगी।	की स्थापना/ विस्तारीकरण/ विविधीकरण करने वाली समस्त पात्र इकाईयों द्वारा प्लांट एवं मशीनरी के लिए वितरित सावधि ऋण पर भुगतान की गयी ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक ब्याज उपादान की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ कि सुविधा की अधिकतम सीमा इकाई द्वारा संगत पिछले वित्तीय वर्ष में जमा कराए गए वैट/जीएसटी/सीएसटी में प्रदेश के अंश का 20 प्रतिशत से अधिक न हो। 5 वर्ष की गणना, सावधिक ऋण के अन्तिम वितरण की तिथि से की जायेगी।
स-	अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत पूर्व में वर एवं निबन्धन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-क.नि.-2-79/11-2012-312(98)/2012 दिनांक 05.12.2012 के स्थान पर सभी नई मेगा औद्योगिक इकाईयां जिनमें विस्तारीकरण/ विविधीकरण वाली इकाईयां भी सम्मिलित हैं को स्टाम्प शुल्क की सुविधा	सभी नई मेगा औद्योगिक इकाईयां जिनमें विस्तारीकरण/ विविधीकरण वाली इकाईयां भी सम्मिलित हैं को परियोजना हेतु क्रय की गयी अथवा लीज पर ली गयी भूमि पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
ब-	अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0	सभी नई मेगा औद्योगिक इकाईयां जिनमें विस्तारीकरण/	अकुशल श्रमिकों को वेतन मद में दिये जाने वाले ई0पी0एफ0 का नियोक्ता के अंशदान	अकुशल श्रमिकों को वेतन मद में दिये जाने वाले ई0पी0एफ0 का नियोक्ता के अंशदान

	1456/77-6-12-08(ए म)/12सी.सी.II दिनांक 23.01.2013 के स्थान पर ई0पी0एफ0 प्रतिपूर्ति की सुविधा	विविधीकरण वाली इकाईयाँ भी सम्मिलित है जिनके द्वारा 100 या उससे अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया हो। उनके द्वारा इन श्रमिकों को वेतन मद में दिये जाने वाले ई0पी0एफ0 का नियोक्ता के अंशदान की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई स्थापना के तीन वर्षों बाद उससे अगले 5 वर्षों हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।	की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई स्थापना के तीन वर्षों बाद उससे अगले 5 वर्षों हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।	की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई स्थापना के तीन वर्षों बाद उससे अगले 5 वर्षों हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।

नोटः-

1. लैटर आफ कम्फर्ट प्राप्त कर लेने के पश्चात यदि इकाई द्वारा परियोजना में किसी प्रकार के फेर-बदल, कास्ट आफ प्रोजेक्ट में इस प्रकार के बदलाव जिससे इकाई की श्रेणी में अन्तर आता है, लैटर आफ कम्फर्ट में इंगित शर्तों में बदलाव इत्यादि के आवेदन को प्राधिकृत संस्था द्वारा परीक्षण (आवश्यकता पड़ने पर बाह्य दक्ष संस्था द्वारा) कर निर्णय हेतु इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष रखा जायेगा। इम्पावर्ड कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा।

2. यदि किसी इकाई ने प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त की है तो उस इकाई को उसी प्रकार की सुविधा इस योजना के अन्तर्गत प्रदान नहीं की जायेगी।

3. भारत सरकार द्वारा पूरे देश में यूनीफार्म गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जी0एस0टी0) योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस दशा में वैट/सी0एस0टी0 से सम्बन्धित स्वीकृत सुविधा केवल जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश तक ही प्रदान की जायेगी।

4. उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त सभी पात्र इकाईयां अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 में निहित अन्य गदों की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगी।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या- 770/77-6-15-5(एम)/13 दी0सी0 का अनुलग्नक-2

राज्य सरकार द्वारा सेल-टू-सेल के आधार पर विशेष सुविधायें एवं रियायतें प्रदान करने हेतु अनुमोदित 9 मेगा परियोजनाओं की सूची

1. मे0 इण्डोगल्फ फर्टिलाईजर्स (मे0 आदित्य बिरला नूवो लि0 की एक इकाई), जगदीशपुर।
2. मे0 जी सीमेंट लि0, बुलंदशहर।
3. मे0 वेकनेट इण्डिया लि0, मथुरा।
4. मे0 गैलेन्ट इस्पात लि0, गोरखपुर।
5. मे0 एसवारा पेपर्स लि0, मेरठ।
6. मे0 के0के0 मिल्क फूड्स इण्डिया लि0, कानपुर देहात।
7. मे0 सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स लि0, नोयडा।
8. मे0 रिलायन्स सीमेंट कम्पनी प्रा0 लि0, राय बरेली।
9. *मे0 रिलायन्स सीमेंट कम्पनी प्रा0 लि0, अलीगढ़ एवं रोजा।

* नोट:-

मे0 रिलायन्स सीमेंट कम्पनी प्रा0 लि0 द्वारा अलीगढ़ एवं रोजा में अलग-अलग इकाई स्थापित करने हेतु एक ही आवेदन इस आशय से किया गया है कि दोनों इकाईयां एक दूसरे से लिंक्ड हैं जिसमें परियोजना की कुल लागत रू0 682.46 करोड़ इंगित की गयी है। जब कि अलीगढ़ इकाई की कास्ट आफ प्रोजेक्ट रू0 592.44 करोड़ एवं रोजा इकाई की कास्ट आफ प्रोजेक्ट रू0 90.02 करोड़है। कम्पनी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि रोजा इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किये जाने वाले क्लिंकर को अलीगढ़ इकाई द्वारा प्रदान किया जायेगा तथा अलीगढ़ इकाई द्वारा वांछित फ्लाई ऐश का कुछ हिस्सा रोजा थर्मल पावर प्लांट से उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार कम्पनी ने दोनों इकाईयों को एक दूसरे से लिंक्ड बताया है। अतः इस प्रकार की दो भिन्न स्थानों पर स्थापित इकाईयों को एक मेगा परियोजना मानने हेतु आवेदन पर इन्वायर्न कमेटी के द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर एक मेगा परियोजना मानने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

संख्या-510/77-6-16-5(एम)/13 टी0सी0(मेगा)

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
(2) समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ.प्र.।
(3) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ.प्र.।
(4) प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमतीनगर, लखनऊ।
(5) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 12 मई, 2016

विषयः-उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली मेगा परियोजनाओं को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के विषय में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (प्रस्तर सं0 5.7) के अन्तर्गत मेगा परियोजना की स्थापना हेतु केस-टू-केस आधार पर दिये जाने वाले प्रोत्साहन विषयक शासनादेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-402/77-6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 तथा शासनादेश संख्या 770/77-6-15-5 (एम)/13 टी.सी. दिनांक 09.06.2015 के प्राविधानों में निम्नवत संशोधन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है:-

1 मेगा परियोजना संबंधित पूर्व निर्गत शासनादेशों में कतिपय संशोधनः-

1.1 शासनादेश संख्या 770/77-6-15-5 (एम)/13 टी.सी. दिनांक09.06.2015 के प्रस्तर 1.1.2 का संशोधन-

"मेगा परियोजना हेतु वांछित सुविधाओं के लिए आवेदन करते समय आवेदक कम्पनी द्वारा वाह्य कन्सलटेन्ट/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था द्वारा परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति प्राधिकृत संस्था को प्रदान किया जाना आवश्यक होगा। प्रवर्तक कम्पनी द्वारा लेटर-आफ-कॅम्फर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अधिकतम छः माह के भीतर परियोजना हेतु ऋण स्वीकृति के लिए शिडयूल्ड वाणिज्यक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) अथवा इन बैंकों के नियन्त्रणाधीन अथवा केन्द्र सरकार के नियन्त्रणाधीन वित्तीय संस्था द्वारा परियोजना का अप्रेजल कराकर अप्रेजल रिपोर्ट की प्रति प्राधिकृत संस्था को प्राप्त कराई जाएगी। यदि इकाई द्वारा किसी वित्तीय संस्था अथवा बैंक से ऋण नही प्राप्त किया जा रहा हो तो भी इकाई को उक्त वर्णित संस्थाओ में से किसी एक संस्था द्वारा परियोजना का अप्रेजल कराना अनिवार्य होगा।प्राधिकृत संस्था के माध्यम से पात्र इकाई को परियोजनान्तर्गत

वित्तीय सुविधायें/ वित्तीय उपादान उपलब्ध कराया जाना है अतः प्राधिकृत संस्था द्वारा परियोजना का अप्रेजल नहीं किया जायेगा।"

1.2 शासनादेश संख्या 770/77-6-15-5(एम)/13 टी.सी. दिनांक 09.06.2015 के अनुलग्नक-1 के नीचे विन्दु-5 के रूप में जोड़ दिया जाये कि:-

"5. इकाई द्वारा वैट/सी.एस.टी./जी.एस.टी. में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की प्रतिपूर्ति त्रैमासिक अवधि पर की जावेगी।"

1.3 शासनादेश संख्या 402/77-6-14-5 (एम)/13 दिनांक 3.3.2014 के प्रस्तर 12.4 का संशोधन

"पूँजी निवेश की सही धनराशि के आंकलन हेतु इसको कम्पनी के प्राधिकृत निदेशक एवं स्टेच्यूटरी ऑडिटर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। उपलब्ध कराए गए प्रमाण-पत्रों के माध्यम से दर्शायी गई पूंजी निवेश की वास्तविकता का आंकलन एवं सत्यापन प्राधिकृत संस्था (पिकप) द्वारा अपने इम्पैनल्ड वैल्यूवर्स/चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस/कन्सलटेंट से कराते हुए प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभागके माध्यम से इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति हेतु प्रेषित किया जायेगा।"

1.4 शासनादेश संख्या 402/77-6-14-5 (एम)/13 दिनांक 3.3.2014 के प्रस्तर 14.1 का संशोधन

"इकाई द्वारा, मेगा इकाई की स्थापना के संबंध में जारी लेटर आफ कॅम्फर्ट में वर्णित शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात, निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राधिकृत संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकृत संस्था (पिकप) द्वारा अपने इम्पैनल्ड वैल्यूवर्स/चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस /कन्सलटेंट से पूँजी निवेश की वास्तविकता का आंकलन एवं सत्यापन कराते हुए प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति हेतु प्रेषित किया जायेगा।इम्पावर्ड कमेटी द्वारा मत स्थिर करते हुए औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से मा. मंत्रि-परिषद के आदेश प्राप्त किए जाएंगे।"

1.5 औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना-2012 से सम्बन्धित शासनादेश सं0 1414/77-6-12-08(एम)/12 टी0सी0III दि0 30.11.2012 के प्रस्तर-2 का संशोधन

"2. इस योजना के संचालन हेतु पिकप को प्राधिकृत संस्था नामित किया जा रहा है।"

1.6 उक्त शासनादेशों दिनांक 03.03.2014, 9.6.2015 एवं 30.11.2012 की अन्य व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

2. प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 402/77-6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014 तथा शासनादेश संख्या 770/77-6-15-5 (एम)/13 टी. सी. दिनांक 09.06.2015 में वर्णित प्राविधानों के अतिरिक्त निम्न व्यवस्थाओं को भी समाविष्ट किया गया है:-

2.1 सुपर मेगा प्रोजेक्ट्स नामक नई श्रेणी

प्रदेश में इस प्रकार की इकाईयों जहाँ पर कुल पूँजी निवेश रू0 1000 करोड़ या उससे अधिक हो, के लिए "सुपर मेगा प्रोजेक्ट्स"के नाम से एक नई श्रेणी का सृजन किया गया है। ऐसी परियोजनाओं को अतिरिक्त विशेष सुविधायें निम्न वर्णित शर्तों के अधीन अनुमन्य करायी जायेंगी :-

(अ) सुविधाओं की राशि की सीमा वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्वांचल, मध्यांचल, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाईयों हेतु पूँजी निवेश का 300 प्रतिशत तक तथा अन्य क्षेत्रों में पूँजी निवेश का 100 प्रतिशत तक सीमित है। सुपर मेगा प्रोजेक्ट वाली इकाईयों को सुविधायें प्रदान करने में लचीलापन लाने हेतु कम्पनियों को अपनी आवश्यकतानुसार कुछ सुविधाओं के मदोंको निर्धारित पूँजी निवेश की सीमा तक चुनने की स्वतंत्रता दी जायेगी। इकाइयों को अपनी आवश्यकतानुसार केस टू केस आधार पर निश्चित की गयी सीमाओं यथा निर्धारित प्रति वर्ष वितरित की जाने वाली प्रतिपूर्ति, पूँजी निवेश की सीमा तथा समयावधि की सीमा तक सुविधाओं को निम्नलिखित मदों में से चुनने का अवसर प्रारम्भ में ही दिया जायेगा:-

i- वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 के मद में प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि के 100 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति।

ii- पूँजी ब्याज उपादान (पाँच वर्षों से अधिक समय पूरे सावधिक ऋण पर, न कि केवल प्लांट एवं मशीनरी के ऋण पर)।

iii- अवस्थापना ब्याज उपादान।

स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी दशा में यातायात उपादान, पूँजी उपादान, अवस्थापना उपादान की सुविधा देय नही होगी।

(ब) सुपर मेगा परियोजनाओं द्वारा लेटर आफ कम्फर्ट के दिनांक से आगामी 07 वर्षों के भीतर पात्रता हेतु आवश्यक पूँजी निवेश, परियोजना की स्थापना एवं अन्तिम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जाना आवश्यक होगा।

(स) पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाईयों हेतु पूँजी निवेश का 300 प्रतिशत तक तथा अन्य क्षेत्रों में पूँजी निवेश का 100 प्रतिशत तक 15 वर्षों हेतु विभिन्न सुविधायें प्रदान की जा सकती हैं किन्तु शर्त यह होगी कि प्रतिवर्ष प्राप्त की जाने वाली सुविधा, इकाई द्वारा वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की 100 प्रतिशत से अधिक न हो।

2.2 सुपर मेगा श्रेणी में रू0 1000 करोड़ का पूंजी निवेश कर लेने एवं किसी एक चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किये जाने के पश्चात ही इकाई विशेष सुविधाओं का लाभ लेने हेतु पात्र होगी।

2.3 शासनादेश संख्या 770/77-6-15-5(एम)/13 टीसी दिनांक 09-06-2015 में सुपर मेगा की श्रेणी में आने वाली इकाईयों को भी यह सुविधायें अनुमन्य होगी।

3. <u>विस्तारीकरण/विविधीकरण के प्रस्ताव में अनुमन्य सुविधा के आगणन हेतु प्रकिया</u>

विस्तारीकरण/विविधीकरण हेतु सुविधा प्राप्त करने वाली पात्र इकाईयों को उक्त परियोजना हेतु पृथक अभिलेख रखना होगा। यदि इकाई द्वारा ऐसा करना सम्भव न हो तो विशेष सुविधा का आंकलन अतिरिक्त पूँजी निवेश तथा कुल पूँजी निवेश के रेशियो के आधार पर किया जाए तथा शासनादेश के अन्तर्गत पात्रता की अवधि तक उस इकाई द्वारा विस्तारीकरण/विविधीकरण की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी, किन्तु शर्त यह होगी कि आधारभूत उत्पादित माल के विक्रय धन पर देय कर (वैट/सी0एस0टी0/जी0एस0टी0) की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी। आधारभूत उत्पादन का तात्पर्य, इकाई विगत 05 वर्षों अथवा उससे कम अवधि से कार्यरत है तो इस अवधि में से किसी वर्ष का अधिकतम वाणिज्यिक उत्पादन, से होगा।

विस्तारीकरण/विविधीकरण के प्रस्ताव में अनुमन्य सुविधा के आगणन हेतु उपरोक्त प्रकिया मेगा/सुपर मेगा सभी इकाईयों पर लागू होगी।

4. <u>लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत की गई मेगा परियोजनाओं तथा भविष्य में लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने वाली मेगा/सुपर मेगा परियोजनाओं द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी विभिन्न सुविधाओं के वितरण हेतु आवेदन का प्रारूप तथा शर्तें</u>

4.1 इकाईयों द्वारा प्रचलित शासनादेशों के अन्तर्गत पात्र मेगा/सुपर मेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य सुविधाओं को वितरित करने हेतु आवेदन का प्रारूप अनुलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

4.2 <u>इकाईयों को अनुमन्य सुविधाओं के वितरण के लिए प्रकिया</u>

पात्र मेगा इकाईयों जिनको पूर्व में लेटर आफ कम्फर्ट जारी किया जा चुका है तथा जिन्हें भविष्य में निर्गत किया जाना है, को निम्न प्रकिया एवं शर्तों के अनुसार सुविधायें वितरित करने की संस्तुति की गई है:-

1. इकाई द्वारा, मेगा/सुपर मेगा योजनान्तर्गत जारी लेटर आफ कॅम्फर्ट में वर्णित शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात, निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राधिकृत संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

2. प्राधिकृत संस्था (पिकप) द्वारा अपने इम्पैनल्ड वैल्यूवर्स/चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस/ कन्सलटेंट से पूँजी निवेश की वास्तविकता का आंकलन एवं सत्यापन कराते हुए प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

3. इम्पावर्ड कमेटी द्वारा मत स्थिर करते हुए औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से मा. मंत्रि-परिषद के आवेश प्राप्त किए जाएंगे।

4.3 इकाईयों को अनुमन्य सुविधाओं के वितरण के लिए शर्ते

इम्पावर्ड कमेटी द्वारामेगा/सुपर मेगा श्रेणी की जो भी इकाईयां प्रदेश सरकार से सुविधायें प्राप्त करेंगी, उन्हें निम्न शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा :-

1. पात्र इकाई द्वारा उत्पादन एवं विक्रय के विस्तृत विवरण के अतिरिक्त उत्पादन में रूकावट, इकाई की बन्दी इत्यादि का विवरण भी सुस्पष्ट कारणों सहित प्रमाणित रूप में प्राधिकृत संस्था को प्रदान किया जाना होगा। साथ ही स्थायी पूंजी निवेश में वृद्धि, स्थायी सम्पत्ति में क्षय (विक्रय) एवं पात्र इकाई के कान्स्टीट्यूशन मे किसी भी प्रकार के बदलाव इत्यादि का प्रमाणित विवरण भी दिया जाना होगा।

2. वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 09 माह के अन्दर पात्र इकाई द्वारा आडिटेड वार्षिक लेखा (स्टेटमेंट आफ एकाउन्टस) तथा बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति प्राधिकृत संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. यदि पात्र इकाई निर्धारित समयावधि में वांछित अभिलेख/सूचना प्राधिकृत संस्था को उपलब्ध नहीं कराती है तो इसे अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत निर्गत शासनादेशों का उल्लंघन माना जायेगा तथा लेटर आफ कम्फर्ट निरस्त करते हुए इकाई द्वारा प्राप्त की गयी सुविधाओं की राशि सुसंगत विधिक प्राविधानों के तहत "भू राजस्व बकाया" की भॉति सम्बंधित इकाई से वसूली जायेगी।

4. पात्र इकाई द्वारा लेटर आफ कम्फर्ट में इंगित सुविधाओं की सीमा (राशि/अवधि)पर पहुँचते ही अथवा इकाई द्वारा किसी भी नियम एवं शर्त का उल्लंघन करते ही प्राधिकृत संस्था द्वारा इकाई को निर्गत किये गये लेटर आफ कम्फर्ट को स्वयमेव निरस्त माना जायेगा।

5. लेटर आफ कम्फर्ट प्राप्त कर लेने के पश्चात यदि इकाई द्वारा परियोजना में किसी प्रकार के फेर-बदल, कास्ट आफ प्रोजेक्ट में इस प्रकार के बदलाव जिससे इकाई की श्रेणी में अन्तर आता है, लेटर आफ कम्फर्ट में इंगित शर्तों में बदलाव इत्यादि के आवेदन को प्राधिकृत संस्था द्वारा परीक्षण (स्वयं अथवा बाह्य दक्ष संस्था द्वारा) कर निर्णय हेतु इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष रखा जायेगा। इम्पावर्ड कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा।

6. यदि किसी इकाई ने प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त की है तो उस इकाई को उसी प्रकार की सुविधा इस योजना के अन्तर्गत नहीं प्रदान की जायेगी।

7. भारत सरकार द्वारा पूरे देश में यूनीफार्म गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जी०एस०टी०) योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस दशा में वैट/सी०एस०टी० से सम्बन्धित स्वीकृत सुविधा केवल जी०एस०टी० में निहित प्रदेश सरकार के अंश तक ही प्रदान की जायेगी।

5. <u>पैन इण्डिया विन्दु एवं वैट/सी.एस.टी./जी.एस.टी. में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष प्रतिपूर्ति हेतु आगणन के विकल्पः-</u>

सभी मेगा/सुपर मेगा परियोजनाओं में वैट/सी.एस.टी. अथवा जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह राशि की गणना करने हेतु इकाई को निम्न दो विकल्प उपलब्ध होंगें जिनमे से इकाई द्वारा आवेदन करते समय ही एक विकल्प चुनकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना होगाः-

<u>"उत्तर प्रदेश में विक्रय किए गए उत्पाद के सापेक्ष प्रो-राटा आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटाकर जो शेष राशि (नेट वैट) होगी वह राशि प्रतिपूर्ति के आगणन हेतु अनुमन्य श्रेणी के अनुसार अर्ह होगी।"</u>

अथवा

<u>"इकाई द्वारा वैट/सी.एस.टी. अथवा जी.एस.टी. में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गई राशि की अनुमन्य प्रतिपूर्ति निवेश की श्रेणी के अनुसार अर्ह होगी।"</u>

यह सुविधा उन इकाईयों को भी दी जायेगी जिन्हें दि0 9.6.2015 के शासनादेश के क्रम में लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किया जा चुका है एवं उन्हें भी इन दो विकल्पों में से एक चुनने का एक अवसर दिया जायेगा।

6. सभी पात्र मेगा इकाईयों को वैट की प्रतिपूर्ति वार्षिक आधार के स्थान पर त्रैमासिक आधार पर प्रदान की जायेगी।

7. शासनादेश संख्या 770/77-6-15-5(एम)/13 टीसी दिनांक 09-06-2015 के द्वारा मे0 वैकमेट इण्डिया लि0, मथुरा को अनुमोदित विशेष सुविधाएँ एवं रियायतें एतद्द्वारा निरस्त की जाती हैं।

8. राज्य सरकार द्वारा केस-टू-केस आधार पर इस शासनादेश एवं शासनादेश संख्या 770/77-6-15-5(एम)/13 टीसी दिनांक 09-06-2015 की व्यवस्था के अन्तर्गत 06 नई मेगा परियोजनाओं को विशेष सुविधायें एवं रियायतें प्रदान करने पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है जिसका विवरण अनुलग्नक-2 पर है तथा इन परियोजनाओं की सूची अनुलग्नक-3 पर उपलब्ध है।

9. सम्बन्धित विभागों द्वारा सन्दर्भित 06नई इकाइयों एवं मे0 सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0 लि0, नोएडा के पुनरीक्षित प्रस्ताव हेतु अनुमोदित सुविधाओं को निर्णीत सीमा तक उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश जारी किये जायेंगे।

10. जिन 06 नई इकाईयों को एतद्द्वारा रियायतें/सुविधायें प्रदत्त किये जाने का निर्णय लिया गया है उनको प्रश्नगत सभी प्रकार की सुविधायें प्राधिकृत संस्था द्वारा सम्बन्धित शासनादेशों के प्राविधानों का अनुपालन करते हुए वितरित की जायेंगी।

11. कतिपय इकाईयों द्वारा पूर्व में निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट में संशोधन हेतु आवेदन किया गया था जिन पर प्रदान किये गये अनुमोदन का विवरण अनुलग्नक-4 पर उपलब्ध है।

12. किसी भी प्रकार की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु गठित संस्था द्वारा इम्पावर्ड कमेटी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्याः 510(1)/77-6-16-05(एम)/2013 टी0सी0 (मेगा), तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ.प्र., इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
4. औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमों के प्रबन्ध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
5. प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. अध्यक्ष, उ.प्र. राजस्व परिषद, लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
8. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ.प्र. शासन।
9. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
10. संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी मॉल एवेन्यू, लखनऊ।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस शासनादेश की 1000 प्रतियां मुद्रित कराकर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश को मुद्रित प्रतियां प्रेषित करने का कष्ट करें।
12. नियोजन अनुभाग-1, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 ।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्याः510(2)/77-6-16-05(एम)/2013 टी0सी0(मेगा), तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त समाचार पत्रों में व अन्य प्रचार-माध्यमों से करवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

अनुलग्नक-1

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश सं0-510/77-6-16-5(एम)/13 टी0सी0 (मेगा) का अनुलग्नक-1

Format of Application for Disbursement of Incentives for Mega Projects (under Infrastructure & Industrial Investment Policy-2012)

Sl.No.	Title	Reply	Documents required in support
1-	Name of Company		Memorandum and Articles of Associations
2-	Address of Registered Office of the Industrial Unit/Firm/Company		
3-	Address of factory of the Industrial Unit/Firm/Company		
4-	Date of filing LOI / EOI with the Department of Promotion and Policy		
5-	Constitution of the concern		
	Date of start of trial runs production		Acknowledgment of filing of Part-II with DIPP (Department of Industrial Policy and Promotion) GOI OR Acknowledgment of Intimation to Excise Dept. OR Certificate from Statutory Auditors.
	Date of start of Commercial production		
6-	New unit/expansion/diversification project		DPR (phased project), Appraisal Note/ Actual
7-A	Product-wise Installed capacity for new unit		DPR (phased project), Appraisal Note/Actual
7-B	In case of expansion, i. Existing installed capacity (Product-wise) ii. Installed capacity after expansion (Product-wise)		DPR (phased project), Appraisal Note/Actual
8-	Whether project is being set up in phases?		DPR, Appraisal Note/Actual
9-	Phase-wise scheduled production dates and actual date of coming into production		DPR, Appraisal Note, Excise Return (ER-4)
10-	PAN No. of the Industrial Unit/Firm/Company		Copy of PAN Card
11-	Name of all the Owners/Partners/ Directors of the Industrial Unit/Firm/ Company along with DIN Nos., PAN Nos., Contact Mobile/Telephone No.		ROC Documents
12-	Particulars of the Technical arrangement for smooth running of the Industrial Unit/ Firm/ Company		

	Cost of Project+	As per DPR	As per Appr-aisal	Capital Investment till 23.1.2013+	Capital Investment till date+
	(a) Land & site development (b) Building and Civil Works (c) Plants & Machinery i) Indigenous ii) Imported (d) Misc.Fixed Assets (e) Intt. During construction period (f) Prelim. And Precop. Expenses (g) Margin Money for Working Capital Total				

1. *Nodal agency shall arrange examination & certification on Capital Investment made by the company as per the provision of G/O's through its empanelled C/A firms*
2. *Nodal agency shall also arrange to get examined the installation & verification of Capital Investment at site (Land, Building & Plant & Machinery) through its empanelled consultants/ valuer/engineer.*

The above two reports shall be put up alongwith the disbursement note before EC through the IDD.

	Means of financing+				
14-	Equity (a) Equity Share Capital (b) Internal Cash Accruals (c) Intt. Free Unsecured Loans (d) Other Debt (e) From FI's (f) from Bank (g) For Plant and Machinery* Total *with supporting documents/computation				

+To be supported by -

i. Certificate from Statutory Auditors of the Companycertifying that the expenditure incurred by the company for availing the benefits as per LOC issued to the company are in order and are as per terms and conditions of GO no. 402/77-6-14-5(M)/13 dated 3.3.2014, GO no. 770/77-6-15-5(M)/13 TC dated 9.6.2015 and amendment, if any, from time to time.

ii. Copies of bills and invoices certified by director of the company.

A. REIMBURSEMENT			
15-	Details of tax paid under UPVAT Act & CST Act		
	i. Taxpayer Identification Number (TIN) issued by Commercial Taxes Department ii. Amount of admitted Tax under VAT deposited for FY ____ iii. Amount of claim to be reimbursed iv. Amount of refund out of VAT deposited during the period, if obtained		Certificate issued by Competent Authority of the Commercial Taxes Department.
	Documents Required in Support of VAT Paid by the Unit		
	i. Certificate issued by Competent Authority of the Commercial Taxes Department. ii. Unit level audited accounts for the relevant financial year (for which VAT/CST reimbursement is being claimed) iii. VAT Audit Report for the relevant financial year for the company iv. VAT Audit Report for the relevant financial year for the unit (standalone VAT statement/report for the unit certified by a Chartered Accountant) v. CA Certificate for sales reconciliation of Manufactured Goods/Trading goods/Scrap/ Stock Transfer and VAT/CST paid towards the same separately.		
16-	Audited annual accounts with complete schedule for last two years. (If available)		
CAPITAL INTEREST SUBSIDY			
17-	Name of Financial Institutions from which loan availed		
18-	Amount of loan sanctioned on Investment in Plant & Machinery		Sanction Letter, Agreement with FI/Bank
19-	Rate of Interest		Sanction Letter, Agreement with FI/Bank
20-	Date of Sanction		
21-	Amount of Loan Disbursed towards Investment in Plant & Machinery with dates of Disbursement.		Letter /Advice of FI/Bank. Certificate from Bank certifying interest cost on loan for Plant & Machinery

Particulars of Claims for Sanction of Capital Interest Subsidy					
Sl.No.	Year for which subsidy Applied	Payment made to FI during the year		Amount of Interest Subsidy Applied	Documents required in support
		Principal	Interest		
1.	Year -I ( )				Certification from FI/Bank required
2.	Year –II ( )				
3-	Year –III ( )				
4-	Year –IV ( )				
5-	Year –V ( )				
	Total				

EMPLOYEES PROVIDENT FUND REIMBURSEMENT			
23-	Number of Unskilled Workers with full particulars of 100 unskilled workers and employee wise contributions for relevant year.		Affidavit from the main promoter/ Authorized Officer to the effect that all the above particulars are true and that the unit had 100 unskilled workers in its continuous employment for the full period of the relevant year for which application for reimbursement is being filed.
24-	Number of Other Workers		
25-	Total No. of Workers		
26-	Details of Claims for EPF Reimbursement		Monthwise details of contributions paid into the EPFO or Employer's PF Trust, which should be certified by the concerned competent officer of EPFO/ Competent officer of Trust.

Declaration

The above information are completely true and no fact has been concealed or misrepresented. It is further certified that the company has not availed benefits of the above nature under any scheme of the Govt. of U.P. or any other Agency, neither have we applied to any other agency for purpose of availing benefits of the above nature.

Signature and Seal of Authorised Signatory

अनुलग्नक-2

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश सं0-510/77-6-16-5(एम)/13 टी0सी0 (मेगा) का अनुलग्नक-2

राज्य सरकार द्वारा केस-टू-केस आधार पर मेगा /सुपर मेगा परियोजनाओं को अनुमोदित विशेष सुविधायें एवं रियायतें

क्र0सं0	प्रदान की जाने वाली सुविधा का विवरण	पात्रता	सुविधा की सीमा		
			श्रेणी-1 रू0 200 करोड़ अथवा अधिक किन्तु रू0 500 करोड़ से कम पूंजी निवेश वाली मेगा इकाई	श्रेणी-2 रू0 500 करोड़ अथवा उससे अधिक किन्तु रू0 1000 करोड़ से कम पूंजी निवेश वाली मेगा इकाई	सुपर मेगा श्रेणी रू0 1000 करोड़ अथवा उससे अधिक पूंजी निवेश वाली मेगा इकाई
अ-	सभी नई मेगा औद्योगिक इकाईयों जिनमें विस्तारीकरण/विविधीकरण वाली इकाईयां भी सम्मिलित हैं को वैट/सी0एस0टी0 अथवा भविष्य में लागू किये जाने वाले जी0एस0टी0 इत्यादि (टैक्स, जो किसी भी नाम से हो) में निहित प्रदेश सरकार के अंश की प्रतिपूर्ति।	पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड मण्डल को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी मण्डलों में स्थापित पात्र इकाईयां	इकाई द्वारा वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति 10 वर्षों के लिए एवं स्थाई पूंजी निवेश की 100 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक	इकाई द्वारा वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति 10 वर्षों के लिए एवं स्थाई पूंजी निवेश की 100 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक	सुपर मेगा श्रेणी हेतु पात्रता एवं सुविधाओं का विवरण इस शासनादेश के प्रस्तर 2.1, 2.2एवं2.3, पर इंगित है।
		शासनादेश सं0 1416/77-6-12-08 (एम)/12 टी0सी0-IV दि0 30.11.2012 में इंगित पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड मण्डल के सभी जिले।	इकाई द्वारा वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति 15 वर्षों के लिए एवं स्थाई पूंजी निवेश की 300 प्रतिशत	इकाई द्वारा वैट/सी0एस0टी अथवा जी0एस0टी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश के सापेक्ष प्रदेश सरकार के खाते में जमा की गयी राशि की 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति 15 वर्षों के लिए एवं स्थाई पूंजी निवेश की 300 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक	

			अधिकतम सीमा तक		
ब-	सभी नई मेगा औद्योगिक इकाईयां जिनमें विस्तारीकरण/विविधीकरण वाली इकाईयां भी सम्मिलित हैं को पूंजीगत ब्याज उपादान	प्रदेश में स्थापित सभी पात्र मेगा इकाईयां	औद्योगिक इकाईयों को वित्तपूर्ण बैंकों/ केन्द्र व राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वित्तीय संस्थाओं से नई इकाई की स्थापना/ विस्तारीकरण/ विविधीकरण करने वाली समस्त पात्र इकाईयों हेतु प्लांट एवं मशीनरी के लिए वित्तीत सांवधिक ऋण पर भुगतान की गयी ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से उस वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गये ब्याज की धनराशि की प्रतिपूर्ति अधिक रू0 2 करोड़ जो भी कम हो प्रतिवर्ष प्रति इकाई अधिकतम 5 वर्ष तक अथवा अधिकतम रू0 10 करोड़ प्रति यूनिट देय होगी। 5 वर्ष की गणना, सांवधिक ऋण के अन्तिम वितरण की तिथि से की जावेगी।	औद्योगिक इकाईयों को वित्तपूर्ण बैंकों/ केन्द्र व राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वित्तीय संस्थाओं से नई इकाई की स्थापना/ विस्तारीकरण/ विविधीकरण करने वाली समस्त पात्र इकाईयों द्वारा प्लांट एवं मशीनरी के लिए वित्तीत सांवधिक ऋण पर भुगतान की गयी ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक ब्याज उपादान की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ कि सुविधा की अधिकतम सीमा इकाई द्वारा संयंत्र पिछले वित्तीय वर्ष में जमा कराए गए वैट/जीएसटी/सीएसटी में प्रदेश के अंश का 20 प्रतिशत से अधिक न हो। 5 वर्ष की गणना, सांवधिक ऋण के अन्तिम वितरण की तिथि से की जावेगी।	
स-	सभी नई मेगा औद्योगिक इकाईयों जिनमें विस्तारीकरण/ विविधीकरण वाली इकाईयां भी सम्मिलित हैं को स्टाम्प शुल्क की सुविधा	सभी नई मेगा औद्योगिक इकाईयां जिनमें विस्तारीकरण/ विविधीकरण वाली इकाईयां भी सम्मिलित हैं को परियोजना हेतु ऋण की नयी अथवा सीध पर ली गयी भूमि पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
ब-	सभी नई मेगा औद्योगिक इकाईयां	सभी पात्र मेगा इकाईयां जिनमें 100 या उससे	अकुशल श्रमिकों को वेतन मद में	अकुशल श्रमिकों को वेतन मद में	अकुशल श्रमिकों को वेतन मद में

	किसी विस्तारीकरण/ विविधीकरण वाली इकाईयां भी सम्मिलित हैं को ईपीएफ0 प्रतिपूर्ति की सुविधा	अधिक अनुकूल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना रखा हो।	दिये जाने वाले ईपीएफ0 का नियोक्ता के अंशदान की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई स्थापना के तीन वर्षों बाद उससे अगले 5 वर्षों हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।	दिये जाने वाले ईपीएफ0 का नियोक्ता के अंशदान की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई स्थापना के तीन वर्षों बाद उससे अगले 5 वर्षों हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।	दिये जाने वाले ईपीएफ0 का नियोक्ता के अंशदान की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई स्थापना के तीन वर्षों बाद उससे अगले 5 वर्षों हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।

नोटः-

1. लेटर आफ कम्फर्ट प्राप्त कर लेने के पश्चात यदि इकाई द्वारा परियोजना में किसी प्रकार के फेर-बदल, कास्ट आफ प्रोजेक्ट में इस प्रकार के बदलाव जिससे इकाई की श्रेणी में अन्तर आता है, लेटर आफ कम्फर्ट में हॉगित शर्तों में बदलाव इत्यादि के आवेदन को प्राधिकृत संस्था द्वारा परीक्षण (आवश्यकता पड़ने पर बाह्य दक्ष संस्था द्वारा) कर निर्णय हेतु इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष रखा जायेगा। इम्पावर्ड कमेटी का निर्णय अन्तिम होगा।

2. यदि किसी इकाई ने प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त की है तो उस इकाई को उसी प्रकार की सुविधा इस योजना के अन्तर्गत प्रदान नहीं की जायेगी।

3. भारत सरकार द्वारा पूरे देश में यूनीफार्म टैक्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी0) योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस दशा में वैट/सीएसटी0 से सम्बन्धित स्वीकृत सुविधा केवल जीएसटी0 में निहित प्रदेश सरकार के अंश तक ही प्रदान की जायेगी।

4. उपरोक्तसुविधाओं के अतिरिक्त सभी पात्र इकाईयां अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 में निहित अन्य मदों की सुविधाओं का लाभ प्रचलित सुसंगत शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार उठा सकेंगी।

अनुलग्नक-3

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश सं0-510/77-6-16-5(एन)/13 टी0सी0 (मेगा) का अनुलग्नक-3

राज्य सरकार द्वारा केस-टू-केस के आधार पर विशेष सुविधायें एवं रियायतें प्रदान करने हेतु अनुमोदित 6 नई मेगा परियोजनाओं की सूची

1. मै0 एल0जी0 इलेक्ट्रानिक्स इण्डिया प्रा0 लि0, ग्रेटर नोएडा
2. मै0 स्पर्श इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, कानपुर देहात
3. मे0 अशर एग्रो लि0, मथुरा
4. मे0 सुखबीर एग्रो इनर्जी लि0, शाहजहाँपुर
5. मै0 सुखबीर एग्रो इनर्जी लि0, महोबा एवं ललितपुर
6. मे0थेन्नेट इन्स्टीट्यूट आफ ह्यूमर एजूकेशन (बी.आई.एच.इ.), ग्रेटर नोएडा

नोट:-

1. मै0 एल0जी0 इलेक्ट्रानिक्स इण्डिया प्रा0 लि0, ग्रेटर नोएडा द्वारा प्रस्तावित उत्पादों यथा रेफ्रिजरेटर्स, एअर कंडीशनर, वाशिंग मशीन, कम्प्रेशर, मोटर्स, माइक्रोवेव, एल.ई.डी. टी.वी., मोबाईल फोन एवं वाटर प्यूरीफायर को एक ही श्रेणी का उत्पाद माना जावेगा।

2. मै0 सुखबीर एग्रो इनर्जी लि0 की महोबा एवं ललितपुर इकाईयों को एक मेगा परियोजना स्वीकार कर रू0 200 करोड़ से रू0 500 करोड़ की श्रेणी में मानते हुए सुविधायें प्रदान की जाएंगी किन्तु शाहजहाँपुर परियोजना को इसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

अनुलग्नक-4

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश सं0-510/77-6-16-5(एम)/13 टी0सी0 (मेगा) का अनुलग्नक-4

पूर्व में निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट में संशोधन हेतु आवेदन पर प्रदान किये गये अनुमोदन-

1. मे0 पतंजलि पेपर्स लि0 के प्रस्ताव को विस्तारीकरण के स्थान पर ग्रीनफील्ड इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

2. मे0 बी सीमेंट लि0 को निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट दि0 9.7.2015 में निम्नवत बदलाव किया जाता है:-

2.1 कम्पनी द्वारा रू0 728 करोड़ की लागत से कम्पोजिट बिल्डिंग मैटीरियल बनाने हेतु सिकन्दराबाद में दो परगनों में इकाई की स्थापना निम्नवत की जायेगी:-

क. फेज-1 में प्लाट नं0 12, सिकन्दराबाद इण्डस्ट्रियल एरिया, जिला बुलन्दशहर में 20 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली सीमेंट तथा 3 लाख क्यूबिक मी0 प्रतिवर्ष क्षमता वाली एएसी0 का उत्पादन करने वाली इकाई की स्थापना जिसकी कुल लागत रू0 578 करोड़ होगी।

ख. फेज-2 में सिकन्दराबाद में स्थापित की जा रही सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की क्षमता 20 लाख टन से बढ़ाकर 30 लाख टन प्रतिवर्ष किया जाना जिसकी कुल लागत रू0 150 करोड़ होगी।

2.2 दि0 9.7.2015 को निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट की अन्य सुसंगत शर्तें यथावत लागू होंगी।

3. मे0 सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा0 लि0 को निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट दि0 30.6.2015 में निम्नवत बदलाव किया जाता है:-

3.1 रू0 7686.82 करोड़की अनुमानित पूँजी निवेश वाली पुनरीक्षित परियोजना है:-

स्थान	परियोजना	उत्पाद एवं प्रस्तावित क्षमता
बी-1, सेक्टर-81, फेज-2, नोएडा पर स्थित वर्तमान इकाई	हैन्ड हेल्ड मोबाईल हैण्डसेट की क्षमता में विस्तार	हैन्ड हेल्ड मोबाईल हैण्डसेट की क्षमता 3.30 करोड़ इकाई से 4.40 इकाई करोड़ किया जाना
उपरोक्त स्थापित इकाई से संलग्न कब्जे की जाने वाली भूमि पर प्रस्तावित परियोजना।	हैन्डहेल्ड सेलुलर फोन की क्षमता का विस्तारीकरण एवं अन्य उत्पादों के निर्माण हेतु विविधीकरण	हैन्डहेल्ड सेलुलर फोन्स एवं टैबलेट कम्प्यूटर्स (120 लाख संख्या प्रतिवर्ष), रेफ्रीजरेटर्स (18 लाख प्रतिवर्ष की अतिरिक्त क्षमता)

3.2 इकाई के प्रस्तावित उत्पादों यथा मोबाईल फोन्स, टैबलेट कम्प्यूटर्स एवं रेफ्रीजरेटर्स को एक ही श्रेणी का उत्पाद माना जायेगा।

3.3 उक्त पूँजी निवेश की अवधि 23.1.2013 से लेकर पूर्व में निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट दि0 30.6.2015 से 7 वर्ष तक (अर्थात 29.6.2022 तक) होगी।

संख्या- 854 /77-6-16-5(एम)/13 टी0सी0(मेगा)

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
(2) समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ.प्र.।
(3) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ.प्र.।
(4) प्रबन्ध निदेशक, सिडको, सेक्टर-एन, लखनऊ।
(5) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 30 जून, 2016

विषयः-उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत प्रदेश में रू0 200 करोड़/रू0 500 करोड़ या अधिक पूँजी निवेश करने वाली मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु केस-टू-केस आधार पर विशेष सुविधायें एवं रियायतें अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-402/77-6-14-5(एम)/13 दिनांक 03.03.2014, शासनादेश संख्या-770/77-6-15-5(एम)/13टी.सी. दिनांक 09.06.2014 एवं शासनादेश संख्या-510/77-6-16-5(एम)/13टी.सी.(मेगा) दिनांक 12.05.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 12.05.2016 को निर्गत किये जाने के पश्चात् स्टाम्प एवं निबंधन विभाग द्वारा इंगित किया गया है कि स्टाम्प शुल्क में छूट सम्बन्धी सुविधाओं की स्थिति पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो पा रही है। सम्यक विचारोपरान्त जिन इकाइयों द्वारा भूमि के क्रय पर देय स्टाम्प शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराये जाने की माँग की गयी है उन्हें यह सुविधा केस-टू-केस आधार पर अनुमन्य कराया जाना औचित्यपूर्ण होगा जैसा कि पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 09.06.2015 द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है। इस आधार पर प्रस्तुत प्रस्तावों को भी केस-टू-केस आधार पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान किये जाने की निम्नानुसार कार्यवाही की जाय:-

अ. शासनादेश सं. 510/77-6-16-5(एम.)/13 टी.सी.(मेगा) दिनांक 12.05.2016 द्वारा 6 मेगा परियोजनाओं के प्रस्तावों में से चूँकि 4 इकाइयों द्वारा भूमि के क्रय पर देय स्टाम्प शुल्क से 100 प्रतिशत की छूट/प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान किये जाने की माँग की गयी है अतएव निम्न 4 इकाइयों को क्रय की गयी अथवा लीज पर ली गयी भूमि पर

(36)

देय/भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट/प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की गयी:-

(1) मे. अशर एग्रो लि., मथुरा (स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति)।
(2) मे. सुखबीर एग्रो इनर्जी लि., शाहजहाँपुर(स्टाम्प शुल्क की छूट)।
(3) मे. सुखबीर एग्रो इनर्जी लि., मढोरा एवं ललितपुर (स्टाम्प शुल्क की छूट)।
(4) मे. बेन्नेट इन्स्टीट्यूट आफ हायर एजूकेशन, डेटर नोएडा (स्टाम्प शुल्क की छूट)।

ब. चूंकि कतिपय मेगा परियोजनाओं में कम्पनी द्वारा भूमि क्रय पर स्टाम्प शुल्क की देयता पर 100 प्रतिशत की छूट परियोजना के क्रियान्वयन के प्रारम्भिक अवसर पर ही उपलब्ध करानी होगी अतएव शासनादेश सं. 402/77-6-14-5(एम)/13 दिनांक 3 मार्च, 2014 (सपठित संशोधन शासनादेश सं. 770/7-6-15-5(एम)/13टी.सी. दिनांक 9 जून, 2015) के प्रस्तर 12.7 में उल्लिखित सहायता प्राप्त करने हेतु शर्त का यह अंश कि "मेगा परियोजना के अन्तर्गत अनुमन्य विशिष्ट सुविधायें, इकाई को पात्रता हेतु आवश्यक पूँजी निवेश पूर्ण किये जाने की तिथि से ही उपलब्ध कराई जायेगी", ऐसी परियोजनाओं पर लागू नही होगा। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि ऐसी इकाइयों को उक्त छूट शासनादेश सं 141/77-6-13-15(एम)/05 दिनांक 4 जून, 2013 में उल्लिखित शर्तों/व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश संख्या 402/77-6-14-5(एम)/13 दिनांक 3 मार्च, 2014 (सपठित संशोधन शासनादेश संख्या 770/7-6-15-5(एम) /13टी.सी. दिनांक 9 जून, 2015) के प्रस्तर 12.7 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-

वर्तमान प्राविधान (प्रस्तर 12.7)	प्रस्तावित संशोधित प्राविधान (प्रस्तर 12.7)
यदि परियोजना चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जाती है एवं तदनुसार चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग समय में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जाता है तो ऐसी दशा में उस परियोजना को मेगा परियोजना के अंतर्गत देय विशिष्ट सुविधाएं तभी अनुमन्य कराई जाएं, जब परियोजना एक ही स्थान पर स्थापित की जा रही हो एवं परियोजना हेतु तैयार की गई डी.पी.आर. में चरणबद्ध तरीके से परियोजना स्थापित करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो एवं इसी डी.पी.आर. के आधार पर अप्रेजल किया गया हो एवं इकाई द्वारा उत्पादित किए जाने वाला उत्पाद एक ही प्रकृति का हो। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इकाई द्वारा लेटर आफ कम्फर्ट जारी होने के दिनांक से	यदि परियोजना चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जाती है एवं तदनुसार चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग समय में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जाता है तो ऐसी दशा में उस परियोजना को मेगा परियोजना के अंतर्गत देय विशिष्ट सुविधाएं तभी अनुमन्य कराई जाएं, जब परियोजना एक ही स्थान पर स्थापित की जा रही हो एवं परियोजना हेतु तैयार की गई डी.पी.आर. में चरणबद्ध तरीके से परियोजना स्थापित करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो एवं इसी डी.पी.आर. के आधार पर अप्रेजल किया गया हो एवं इकाई द्वारा उत्पादित किए जाने वाला उत्पाद एक ही प्रकृति का हो। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इकाई द्वारा लेटर आफ कम्फर्ट जारी होने के दिनांक से आगामी 5

आगामी 5 वर्ष की अवधि के अन्दर अंतिम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया हो एवं कट-ऑफ-डेट के पश्चात, परंतु अंतिम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व, मेगा इकाई की पात्रता हेतु आवश्यक पूंजी निवेश कर लिया गया हो। ऐसी परिस्थितियों में मेगा परियोजना के अंतर्गत अनुमन्य विशिष्ट सुविधाएँ इकाई को पात्रता हेतु आवश्यक पूंजी निवेश पूर्ण किए जाने की तिथि से ही इस शर्त के साथ उपलब्ध कराई जाएगी कि इकाई द्वारा कम से कम किसी एक चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो।	वर्ष की अवधि के अन्दर अंतिम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया हो एवं कट-ऑफ-डेट के पश्चात, परंतु अंतिम चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व, मेगा इकाई की पात्रता हेतु आवश्यक पूंजी निवेश कर लिया गया हो। ऐसी परिस्थितियों में मेगा परियोजना के अंतर्गत अनुमन्य विशिष्ट सुविधाएँ इकाई को पात्रता हेतु आवश्यक पूंजी निवेश पूर्ण किए जाने की तिथि से ही इस शर्त के साथ उपलब्ध कराई जाएगी कि इकाई द्वारा कम से कम किसी एक चरण का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो। परन्तु जिन मेगा औद्योगिक इकाईयों (जिनमें विस्तारीकरण /विविधीकरण वाली इकाईयाँ भी सम्मिलित हैं) को परियोजना हेतु कय की गयी अथवा लीज पर ली गयी भूमि पर बेस स्टाम्प शुल्क में छूट की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है, उन्हें अनुमन्य वह विशिष्ट सुविधा की पात्रता हेतु आवश्यक पूंजी निवेश पूर्ण किए जाने की बाध्यता नहीं होगी किन्तु ऐसी इकाईयों को वह सुविधा शासनादेश सं. 141/77-6-13-15 (एम)/05 दिनांक 4 जून, 2013 में उल्लिखित शर्तों/व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी।

स. उपरोक्त शासनादेशों दिनांक 09.06.2015 एवं 12.05.2016 को तद्नुसार उक्त सीमा तक संशोधित माना जाय। शेष उपबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्याः 854 (1)/77-6-16-05(एम)/2013 टी0सी0 (मेगा), तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ.प्र., इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।

3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
4. औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमों के प्रबन्ध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
5. प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. अध्यक्ष, उ.प्र. राजस्व परिषद, लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
8. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ.प्र. शासन।
9. प्रमुख सचिव, निर्वाचन विभाग, उ.प्र. शासन।
10. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
11. संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी मॉल एवेन्यू, लखनऊ।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, पेराबाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस शासनादेश की 1000 प्रतियां मुद्रित कराकर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश को मुद्रित प्रतियां प्रेषित करने का कष्ट करें।
13. नियोजन अनुभाग-1, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
14. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 ।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या:854(2)/77-6-16-05(एम)/2013 टीआई0(मेगा), तदिनांक

प्रतिलिपि- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त समाचार पत्रों में व अन्य प्रचार-माध्यमों से करवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।